

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है तथा इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय—I** सरकार के राजस्व क्षेत्र विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत संचालित की जाती है तथा इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यह अध्याय 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की प्राप्तियों जैसे बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, मोटर वाहनों पर करकी लेखापरीक्षाके परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय—II** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के अंतर्गत नि.म.ले.प. के द्वारा संचालित की जाती है। सरकार से अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करें।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2013—14 के दौरान लेखों की नमूना जाँच के दौरान संज्ञान में आए साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले, परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2013—14 के बाद की अवधि के मामले जो वर्ष 2013—14 से संबंधित हैं, जहाँ आवश्यक है वहाँ सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप किया गया है।